भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 385

02 दिसम्बर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: सूखा नियमावली, 2016

385. श्रीमती रुचि वीराः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि सूखा नियमावली, 2016 के वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सूखे की अवधि को सामान्य मानसून चक्र से आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं है जिससे किसानों को अगले वर्ष के जून और जुलाई जैसे महत्वपूर्ण महीनों के दौरान संस्थागत सहायता से वंचित होना पड़ता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार सूखा नियमावली, 2016 में संशोधन करने का है ताकि सूखे की अवधि को अगले वर्ष के जुलाई के अंत तक या अगले मानसून के आगमन तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सके, ताकि किसानों को समय पर मुआवजा, इनपुट राजसहायता और अन्य राहत उपाय मिल सकें; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को सूखे, ओलावृष्टि, कीटों के हमले और शीत लहर/पारा के मद्देनजर राहत उपायों की निगरानी और समन्वय का दायित्व सौंपा गया है। वर्ष 2009 में सूखे की प्रभावी निगरानी और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा सूखा प्रबंधन नियमावली प्रकाशित किया गया था। यह विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से वर्णित करके समन्वय में मार्गदर्शन करता है। नियमावली में संस्थागत संरचना, सूखे की निगरानी के लिए प्रमुख वेरिएबल, सूखे की घोषणा, सूखे की प्रतिक्रिया, राहत और शमन को शामिल किया गया है।

आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2016 में इस नियमावली को संशोधित/अद्यतित किया गया था। संशोधित सूखा नियमावली में सूखे की निगरानी/निर्धारण में आधुनिक तकनीक के उपयोग का प्रावधान किया गया है। सूखे के अधिक सटीक आकलन और निगरानी के लिए नए वैज्ञानिक सूचकांक और पैरामीटर शामिल किए गए थे।

सूखा प्रबंधन नियमावली, 2016 (सूखा नियमावली) के अध्याय 3.4 के अनुसार, राज्य सरकार को खरीफ के लिए 31 अक्टूबर से पहले और रबी के लिए 31 मार्च से पहले अधिसूचना के माध्यम से सूखा घोषित करना आवश्यक है। ऐसी सूखा अधिसूचना की वैधता 6 महीने से अधिक नहीं होती। बुवाई/रोपाई में देरी होने की स्थिति में, राज्य सूखा घोषणा की तिथि बढ़ाने का अनुरोध कर सकते हैं। यह विस्तार किसी भी स्थिति में 3 सप्ताह से अधिक नहीं हो सकता। राज्यों को विस्तार अनुरोध के साथ दस्तावेज़ी साक्ष्य भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

******